पत्र संख्या :- 3/सी०एस०एम०/विविध-13/2014

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना।

प्रेषक,

बी० प्रधान,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार सरकार।

पटना-15, दिनांक 03.12.2014

विषय :- **माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों के आप्त सचिव एवं निजी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में।**

प्रसंग :- मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग का अधिसूचना संख्या-930, दिनांक-23 सितम्बर, 2006 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग का ज्ञापांक-1513, दिनांक-23 मई, 2000

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय आनुसंगिक पत्रों के आलोक में संशोधित दिशा-निदेश निम्नवत् है,

1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के ज्ञापांक-1513, दिनांक-23.05.2000 से निर्गत परिपत्र में यह निर्णय लिया गया है कि मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री के सगे-संबंधी उनके आप्त सचिव/निजी कर्मी के रूप में नियुक्त नहीं किये जायें।

2. संदर्भित परिपत्र में ''सगे-संबंधी'' को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः सरकार के नियमावलियों एवं अधिनियमों में ''परिवार'' शब्द का उपयोग किया जाता है। ''परिवार'' की परिभाषा के लिए बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम-2006 में ''परिवार'' से तात्पर्य है, सदस्य की पत्नी/पति, आश्रित अवयस्क पुत्र/पुत्री अथवा ऐसे माता/पिता जो सदस्य पर आश्रित हो को माना जाएगा।

3. अतः यह निर्णय लिया गया कि माननीय मंत्रिगण बाह्य व्यक्ति कि नियुक्ति की अधियाचना/अनुरोध पत्र भेजते समय इस आशय का घोषणा पत्र देंगे कि आप्त सचिव/निजी कर्मी के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति उनके ''परिवार'' के सदस्य नहीं है।

4. अनुरोध है कि यदि किसी मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री/मंत्री का सुविधा दर्जा प्राप्त माननीयों के परिवार के सदस्य आप्त सचिव/निजी कर्मी के रूप में नियुक्ति की गई हो तो उनको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाय एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचित किया जाय।

इस परिपत्र के प्रावधान तत्कालीक प्रभाव से प्रवृत होंगे।

विश्वासभाजन
(बी० प्रधान)
सरकार के प्रधान सचिव